आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख
06.10.2020	(see below)	

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-35/2020

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

सोनू यादव, पिता-सिकन्दर यादव, सा0-माघी कॉलोनी, थाना-के0 हाट (सहायक), जिला-पूर्णिया

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के 5793/सी0आर0, दिनांक 19.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **सोनू यादव, पिता-सिकन्दर यादव, सा0-माघी कॉलोनी, थाना-के0 हाट (सहायक), जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **सोनू यादव, पिता-सिकन्दर यादव, सा0-माघी कॉलोनी, थाना-के0 हाट (सहायक), जिला-पूर्णिया** एक मुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्त्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। इससे आगामी विधान सभा चुनाव 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. **के0 हाट (सहायक) थाना कांड संख्या-249/2017 दिनांक-15.04.2017, धारा-447, 341, 323, 307, 385, 387, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।**
2. **के0 हाट (सहायक) थाना कांड संख्या-250/2017 दिनांक-15.04.2017, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।**
3. **के0 हाट (सहायक) थाना सनहा कांड संख्या-729/2020 दिनांक-28.08.**

2020

4. के0 हाट (सहायक) थाना सनहा कांड संख्या-759/2020 दिनांक-29.08.2020
5. के0 हाट (सहायक) थाना सनहा कांड संख्या-314/2020 दिनांक-13.09.2020

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 06.10.2020 को समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि के0 हाट थाना काण्ड सं0-249/2017 में Compromise के आधार पर जमानत दिया गया है। के0 हाट (सहायक) थाना काण्ड सं0-250/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Cr. Misc. No.-46488/2017 में दिनांक 20.09.2017 को आदेश पारित कर जमानत दिया गया है। विपक्षी के उपर दर्ज सनहा से विपक्षी अनभिज्ञ हैं। विपक्षी कानून को मानने वाले नागरिक हैं तथा अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। अतएव वाद से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज के0 हाट (सहायक) थाना काण्ड सं0-250/2017 बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत दण्डनीय नहीं है तथा के0 हाट (सहायक) थाना काण्ड सं0-249/2017 दिनांक 15.04.17 के बाद अन्य कोई ऐसा काण्ड विपक्षी के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है, जो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत दण्डनीय हो। फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत् विपक्षी को विरूद्ध कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।

चूँकि **थानाध्यक्ष, के0 हाट (सहायक) / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः **थानाध्यक्ष, के0 हाट (सहायक)** को निदेश दिया जाता है कि **सोनू यादव, पिता-सिकन्दर यादव, सा0-माघी कॉलोनी, थाना-के0 हाट (सहायक), जिला-पूर्णिया** पर विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत्

विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें । साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें ।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया ।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया ।

ज्ञापांक 2562/विधि, पूर्णियाँ, दिनांक 08.10.20

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, के० हाट (सहायक) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनु० पुलिस पदाधिकारी सदर/जिला जन सम्पर्क पदा० पूर्णियाँ/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ

5